

राजस्थान सरकार  
(जल संसाधन विभाग)

क्रमांक 09/भू0अ0/ज0स0/2020/

दिनांक

विज्ञप्ति

चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भीखा भाई सागवाड़ा नहर परियोजना आर.डी. 73.70 से 78.88 किमी. (MIS VI) में शेष रही भूमि की अंतिम विज्ञप्ति जाना आवश्यक है। यह विज्ञप्ति किया जाता है कि सूची में वर्णित इलाकों की भूमि की उक्त प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। अतः यह विज्ञप्ति भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिवर् और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11-12 के अनुसार उन सब हितकारियों को निमित्त जारी की जाती है जिनका इससे संबंध है।

उक्त धारा में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार उन समस्त अधिकारियों को, जिनका इससे संबंध है, को कुछ समय के लिए अपने सेवकों एवं श्रमिकों सहित उस क्षेत्र में प्रवेश करने, सर्वेक्षण करने तथा वे सब कार्य करने हेतु अधिकृत करती है, जो उक्त धारा में दर्शाये गये हैं।

कोई हितकारी व्यक्ति जिसे निम्नांकित क्षेत्र की किसी भूमि के अवाप्त करने के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो यह उक्त विज्ञप्ति के राजपत्र में प्रकाशन होने के 60 दिन के अन्दर आपत्ति लिखित में भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) सागवाड़ा को प्रस्तुत कर सकता है। विवरण सलग्न के अनुसार।  
सलग्न-सूची।

आज्ञा से,

३०

(जितेन्द्र दीक्षित)

उप सचिव एवं प्रावै. सहायक  
वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन  
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक 09/भू0अ0/ज0स0/2020/2634 - 2637 दिनांक = 18-02-2021  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, उदयपुर।
- 2- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को असाधारण गजट में प्रकाशनार्थ ई-गजट पद्धति (राज-ई गजट माड्यूल) के अनुसार अपलोड करने हेतु।
- 3- अधिशासी अभियन्ता, भीखा भाई सागवाड़ा नहर खण्ड, माही परियोजना बांसवाड़ा को निम्नलिखित कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-  
(क) इस विज्ञप्ति को जन सम्पर्क निदेशालय के माध्यम से परिक्षेत्र (जिला) में परिचालित दो दैनिक समाचार पत्रों में जिनमें से एक प्रादेशिक भाषा में हो, शीघ्र प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करे।  
(ख) इस विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने की कार्यवाही हेतु।
- 4- भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) सागवाड़ा, जिला-डूंगरपुर को प्रेषित कर लेख है कि विज्ञप्ति को सारा सूचनार्थ यथोचित सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा की कार्यवाही कराने तथा अन्य आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(जितेन्द्र दीक्षित)

उप सचिव एवं प्रावै. सहायक  
वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन  
राजस्थान जयपुर।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, भीखा भाई सागवाडा नहर खण्ड, माही परियोजना, सागवाडा  
जिला डूंगरपुर (राज.)


केन्द्रीय भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत धारा 11 एवं 12 के प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी का नाम भूमि अर्जन अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) सागवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान


भीखा भाई सागवाडा नहर आर.डी .73.70 से 78.88 किमी ( MIS VI ) के धारा 11 एवं 12 के तहत प्रभावित होने वाले कृषको की सूची

भूमि अवाप्त अधिकारी उपखंड अधिकारी सागवाडा जिला डूंगरपुर (राज.)

ग्राम मटकोला तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर						
क्र.स.	खातेदार का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा बीघा में	भूमि का वर्गीकरण	अवास रकबा बीघा	मकान/ पेड़/कुआ
—	—	—	—	—	—	—
1	रमेश पिता नगजी डामोर भील	882/767	1.03	डु III	0.10	—
		883/807	0.10	डु III	0.07	—
	योग		01.13		0.17	—

C.A.  
Nayya  
Aer

  
( नारायण लाल )  
सहायक अभियन्ता  
भी भा सा न उपखण्ड ।  
माही परियोजना सागवाडा

  
( रामाधार मीणा )  
अधिशासी अभियन्ता  
भी भा सा नहर खण्ड  
माही परियोजना सागवाडा